(123)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

निगरानी-5141/2018/अनूपपुर/भू.21

विवाद मार्ग अभि
23-8-18
प्रस्तुत प्राथमिक तर्क हेतु
दिनांक 29-8-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 23-8-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

रामसिंह पुत्र रामदास गोंड़, निवासी- मुड़धोवा तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

1. अ-कुसमरिया गोंड़ पुत्र कोसा गोंड़, निवासी- झिरोखा तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

   ब-जीवन पुत्र कोसा गोड़, निवासी- बसखली तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

   स-प्रेमबाई पिता कोसा गोंड़, निवासी- जामगांव तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

2. चमानाबाई पुत्री छोटइया गोंड़, निवासी- मुड़धोवा तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.)

--अनावेदकगण

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
-08-2018

न्यायालय कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 1636/अपील/2008-09 में पारित आदेश पारित दिनांक 02/07/2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय,

आवेदक की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5141/2018/अनूपपुर/भू0रा0

रामसिंह विरूद्ध कुसमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–3–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अधिवक्ता श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्र0 क0 1636/अपील/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 02–7–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 3/ प्रकरण में संलग्न सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार न्यायालय के समक्ष वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो वसीयत सिद्ध नहीं होने से निरस्त किया गया। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। आवेदक का वसीयत के आधार पर प्रस्तुत व्यवहार वाद कमांक 129ए/2011 दिनांक 08–10–13 को निरस्त हो चुका है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर0के0 जैन) सदस्य 11-3-19	